संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 388 भोपाल, दिनांक 12.05.2020

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– प्रदेश के बाहर से आने वाले रेल यात्रियों को कोरेंटाईन करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित गन्तव्यों के लिये रेल यात्रा शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके कारण प्रदेश में रेल मार्ग द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की संभावना है। कोविड–19 के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु संक्रमित रेल यात्रियों को कोरेन्टाइन करना आवश्यक है। इस हेतु समस्त जिला कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है कि समस्त रेल यात्रियों के आगमन उपरांत इनकी कोविड–19 संक्रमण की प्राथमिक जांच (थर्मल स्क्रिनिंग) की जाये तथा केवल जांच में संभावित संक्रमित पाये गये यात्रियों को 14 दिवस के लिये कोरेंटाईन सेंटर में रखा जाना सुनिश्चित करेंगे। इन यात्रियों में से यदि कोई यात्री निर्धारित कोरेंटाईन सेंटर में रहने में असहमत है तो ऐसे यात्रियों को उनके स्वंय के व्यय पर शासन द्वारा निर्धारित निजी होटल में कोरेंटाईन किया जा सकता है। शासन द्वारा निर्धारित निजी होटलों की सूची अनुलग्नक–1 पर संलग्न है।

निर्धारित 14 दिवस की कोरेंटाईन अवधि उपरांत इन यात्रियों की कोविड–19 के सेम्पल लेकर जांच की जावे तथा जांच में निगेटिव परिणाम आने पर ही कोरेंटाईन अवधि समाप्त कर घर जाने की अनुमति दी जावे। शेष यात्रियों को होम कोरेंटाईन की सलाह देकर उनके घरो के लिए रवाना किया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार पुनः निर्देशित किया जाता है कि रेल यात्रियों की COVID-19 (कोरोना वायरस) की बीमारी के संबंध में आवश्यक जांच कर केवल संभावित संक्रमित यात्रियों को अनिवार्य रूप से 14 दिवस के लिये कोरेंटाईन किया जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(फैज अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ. क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 389 भोपाल, दिनांक 12.05.2020

प्रतिलिपिः– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल।
04. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
05. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश।

12/5

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण